


मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 11. FEB 2010

क्रमांक एफ 11-7/2009/2/चौतीस :: :: राज्य शासन एतद् द्वारा विभाग में पूर्व से लागू इलेक्ट्रॉनिक टेण्डरिंग व्यवस्था के तहत निर्णय लिया गया है कि अब विभाग में रुपये 10 लाख एवं इससे अधिक की राशि की निविदाएं इलेक्ट्रॉनिक टेण्डरिंग के द्वारा ही आमंत्रित की जायेंगी। उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस0एस0श्रीवास्तव) 11/2/10
अपर सचिव


मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल, दिनांक

11. FEB 2010

पृ. क्रमांक एफ 11-7/2009/2/चौतीस
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त मुख्य अभियंता, लोस्वायावि, परिक्षेत्र की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोस्वाया मण्डल मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त कार्यपालनय यंत्री, लोस्वाया खण्ड मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन 11/2/10
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग